



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 27 / 2022

दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. जगदीश पिता होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भंवरलाल पुत्र होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मदन पुत्र होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शम्भु पुत्र होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रेम पुत्री जीती जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. रमेश पुत्री जीती जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. शंकरलाल पुत्र जीती जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. काना पुत्र ऊकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. जीतमल पिता ऊकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भवानीलाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री ओमप्रकाश शर्माविद्वान अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामफूल धाकड़विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण



अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- २५ / ११ / २०२५

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 26/08/2025 को प्राथमिक डिक्री

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

इस आशय की जारी हुयी कि ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा तहसील बिजौलिया स्थित खाता संख्या नया 94 व पुराना 96 पर अंकित आराजी नम्बर 101/2 व 101/5 कुल किता 2 रकबा 1.3112 हैक्टेयर भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड व मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1562 दिनांक 24.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादीगण को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां खुर्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
01	1. जगदीश पि. होक्मा धाकड़ नि. बेरीसाल 1/5 2. भंवरलाल पि. होक्मा धाकड़ नि. बेरीसाल 1/5 3. मदन पि. होक्मा धाकड़ नि. बेरीसाल 1/5 4. शंभु पि. होक्मा धाकड़ नि. बेरीसाल 1/5 5. प्रेम पुत्री जीती धाकड़ नि. बेरीसाल 1/15 6. रमेश पुत्र जीती धाकड़ नि. बेरीसाल 1/15 7. शंकरलाल पुत्र जीती धाकड़ नि. बेरीसाल 1/15	सुखपुरा	101/2/2	0.4370
	योग		खसरा 01	0.4370
02	1. कंचन पुत्री जीतमल धाकड़ नि. बेरीसाल 1/20 2. कमलेश पुत्र जीतमल धाकड़ नि. बेरीसाल 1/20 3. कान्ता पुत्री जीतमल धाकड़ नि. बेरीसाल 1/20 4. भवानीलाल पुत्र मोतीलाल धाकड़ नि. बेरीसाल 1/2 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिजौलियां 5. मांगीबाई पत्नी स्व. जीतमल धाकड़ नि. बेरीसाल 1/20 6. संतरा पुत्री जीतमल धाकड़ नि. बेरीसाल 1/20 7. हरिशंकर पुत्र काना धाकड़ नि. बेरीसाल 1/4	सुखपुरा	101/2/1 101/5	0.4371 0.4371
	योग		खसरा 02	0.8742

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 27 / 2022

दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. जगदीश पिता होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भंवरलाल पुत्र होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. मदन पुत्र होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शम्भु पुत्र होक्मा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रेम पुत्री जीती जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. रमेश पुत्री जीती जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. शंकरलाल पुत्र जीती जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

1. काना पुत्र ऊकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. जीतमल पिता ऊकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. भवानीलाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 25 / 11 / 2025

डिक्री दिनांक : 25 / 11 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री रामफूल धाकड को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अकित खातेदारान के नाम ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	1. जगदीश पि. होक्मा धाकड नि. बेरीसाल 1/5 2. भंवरलाल पि. होक्मा धाकड नि. बेरीसाल 1/5 3. मदन पि. होक्मा धाकड नि. बेरीसाल 1/5 4. शमु पि. होक्मा धाकड नि. बेरीसाल 1/5 5. प्रेम पुत्री जीती धाकड नि. बेरीसाल 1/15 6. रमेश पुत्र जीती धाकड नि. बेरीसाल 1/15 7. शंकरलाल पुत्र जीती धाकड नि. बेरीसाल 1/15	सुखपुरा	101/2/2	0.4370
	योग		खसरा 01	0.4370
02	1. कंचन पुत्री जीतमल धाकड नि. बेरीसाल 1/20 2. कमलेश पुत्र जीतमल धाकड नि. बेरीसाल 1/20 3. कान्ता पुत्री जीतमल धाकड नि. बेरीसाल 1/20 4. भवानीलाल पुत्र मोतीलाल धाकड नि. बेरीसाल 1/2 रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिजौलियाँ 5. मांगीबाई पत्नी स्व. जीतमल धाकड नि. बेरीसाल 1/20 6. संतरा पुत्री जीतमल धाकड नि. बेरीसाल 1/20 7. हरिशंकर पुत्र काना धाकड नि. बेरीसाल 1/4	सुखपुरा	101/2/1 101/5	0.4371 0.4371
	योग		खसरा 02	0.8742

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।



लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 03

नीज Nil मुबलिया Nil बाबत
 खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की
 से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २५ माह ११ वर्ष 2025 को
 किया गया।

नोट :- प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक
 २५/११/2025 को मुर्तिब की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां

विवरण	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
मेहनताना वकील ()	—		मेहनताना वकील ()	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीशनर	—		फीस कमीशनर	—	
बाबत इजराय हुक्मनामा	—		बाबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां